ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

बाल श्रम : एक अभिशाप

सारांश

बाल श्रम भारतीय समाज का एक ऐसा अभिशाप हैं, जो हमें विरासत में मिलती हैं। इस व्यवस्था से बच्चों की कार्यक्षमता का भरपूर दोहन समय से पूर्व ही कर लिया जाता हैं। किसी भी वर्ग या श्रेणी के प्रति भेदभाव निराशा और विद्वेष पैदा करता हैं। किसी बच्चे का उत्पादक कार्य में लगा होना साधारणतया बाल श्रम कहलाता हैं। **होमर फोल्क्स** के अनुसार बच्चों द्वारा किये जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण भौतिक विकास उनके आवश्यक न्यूनतम शिक्षा व आवश्यक मनोरंजन में बांधा पडने वाला श्रम बाल श्रम कहलाता हैं। बाल श्रम की समस्या हर एक जगह पायी जाने वाली समस्या है। बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के फलस्वरूप बहुत सी गडबडियां पैदा हो जाती हैं। बालक किसी देश या समाज की महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते हैं। वे आने वाली पीढ़ी के सदस्य हैं अतः उनकी समुचित सुरक्षा, लालन, पालन, शिक्षा, दीक्षा व पर्याप्त विकास का उत्तरदायित्व भी राष्ट्र या समुदाय का होता हैं क्योंकि कालांतर में ये बच्चे ही देश के निर्माण व राष्ट्र के उत्थान के अधार स्तम्भ बनते हैं। बाल मजदूरों की समस्या केवल भारत मे ही नहीं विश्वव्यापी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आकड़ो में लगभग 17 करोड़ बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में लगे हैं और इनमें से अधिकतर विकासशील देशों के कारखानों तथा विभिन्न उद्योग धन्धों में कार्यरत् हैं।

मुख्य शब्द : बाल श्रम, अभिशाप, न्यायविदों, सामाजिक चिंतकों, मानवतावादी, निराशा और विद्वेष, दुर्बल वर्ग, बाल श्रमिक, अशिक्षा, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश, बधुंआ मजदूर, शोषण, न्यूतम शिक्षा, गैर जमानती अपराध, कारखाना अधिनियम, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय बाल अध्ययन, अनिवार्य शिक्षा, राष्ट्र उत्थान, उत्तरदायित्व, अधिनियम में प्रावधान, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण परिस्थितियां, वैश्यावृत्ति।

अर्चना
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्री कुन्द कुन्द जैन पी0जी0 कॉलेज,
खतौली, मु0 नगर

प्रस्तावना

बाल श्रम भारतीय समाज का एक ऐसा अभिशाप है, जो हमें विरासत में मिला हैं। इस व्यवस्था से बच्चों की कार्यक्षमता का भरपूर दोहन समय से पूर्व ही कर लिया जाता है। बाल श्रम का मुद्दा सदियों से न्यायविदों, सामाजिक चिंतकों, राजनीतिज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा मानवतावादियों को आन्दोलित करता है। किसी भी वर्ग या श्रेणी के प्रति भेदभाव निराशा और विद्वेष पैदा करता हैं। साथ ही यह भी देखा जाता हैं कि प्रत्येक सबल व्यक्ति में दुर्बल को दबाने व शोषित करने की नैसर्गिक प्रकृति हमेशा से ही पायी जाती है। ऐसी परिस्थिति मे यदि दुर्बल वर्ग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो सबलों द्वारा शोषण की मात्रा व प्रकृति निरंतर बिना किसी अवरोध व सीमा के साथ बढ़ती रहती है।[1]

किसी बच्चे का उत्पादक कार्य में लगा होना साधारणतया बाल श्रम कहलाता हैं। होमर फोल्क्स के अनुसार बच्चों द्वारा किये जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण भौतिक विकास उनके आवश्यक न्यूनतम शिक्षा व आवश्यक मनोरंजन में बांधा पड़ने वाला श्रम बाल श्रम कहलाता हैं। बच्चों को ऐसे व्यवसाय में लगाना जिनसे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो तथा उनका विकास रुक जाता होए, सिर्फ उद्योगों मे कार्यरत बच्चों को ही बाल श्रमिक नहीं माना जाता बल्कि सभी ऐसे व्यवसायों में कार्यरत बच्चों को जो कि उनके भौतिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए हानिकारक होतें हैं उनको बाल श्रमिक माना जाता है।

बाल श्रम की समस्या हर एक जगह पायी जाने वाली समस्या है। बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के फलस्वरूप बहुत सी गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। भारत में बाल श्रम की प्रथा देश में औद्योगिक क्रान्ति के समय से शुरु हुई तब से सस्ते श्रम के लिए उद्योग की मांग इतनी तेजी से बढ़ी तथा जनता की

गरीबी इतनी ज्यादा हो गयी है कि सेवा योजकों में बाल श्रम के शोषण की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा लगी और फलस्वरूप संगठित एवं दूसरे औद्योगिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में बच्चों को काम मे लिया जाने लगा। भारत एक निर्धन देश है यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। यहॉ के निवासी प्रायः गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं।[2]

न्यायमूर्ति श्री पी. एन. भगवती जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे तब उन्होंने एक फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि बाल श्रमिक नितांत अमानवीय स्थितियों से गुजर रहे हैं और सभ्यता से मानो बहिष्कृत हैं। उनका जीवन पशुओं से भी बदत्तर है पशु कहीं भी घूम फिर सकते हैं, लेकिन बाल श्रमिक समाज में बधुंआ मजदूर हैं वे ऐसी हालत में है कि पेट भरने के लिए जो कुछ थोडा बहुत मिल जाए उसी पर निर्भर रहने को विवश हैं।[3]

बालक किसी देश या समाज की महत्वपूर्ण सम्पत्ति होते हैं। वे आने वाली पीढ़ी के सदस्य हैं अतः उनकी समुचित सुरक्षा, लालन, पालन, शिक्षा, दीक्षा व पर्याप्त विकास का उत्तरदायित्व भी राष्ट्र या समुदाय का होता हैं क्योंकि कालांतार में ये बच्चे ही देश के निर्माण व राष्ट्र के उत्थान के अधार स्तम्भ बनते हैं। भारत में बाल कल्याण को प्रमुखता प्रदान करने के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के जन्मदिवस 14 नवम्बर को प्रति वर्ष बाल दिवस के रुप में मनाया जाता हैं। जहां एक ओर कल्याण से सम्बन्धित अनेक विषयों पर विश्व जनमत गंभीरता से सोच रहा हैं। वही दूसरी ओर बाल श्रमिक की समस्या भी तेजी से पनप रही है। विशेषकर विकासशील देशों में जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही हैं वहीं यह समस्या भी उतनी ही तीव्रता से फैल रही है चीन, दक्षिणी एशिया, मध्य पूर्व दक्षिणी अमेरिका के देश इस समस्या से ग्रसित है आज विश्व में लगभग 25 करोड़ बाल श्रमिक हैं।

आधुनिक और औद्योगीकरण के प्रारम्भ में मालिकों में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो गयी कि कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त किया जाये और प्रत्येक देश में बालकों को अधिक संख्या में रोजगार पर लगाया जाए। इन बालको को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और उनसे अत्याधिक समय तक कार्य कराया जाता था ये बालक अत्यन्त कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य करते थे। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ में बालकों की दशा बड़ी दयनीय थी। बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना के बाद कारखानों के मालिकों ने शीघ्र ही अनुभव किया कि स्त्रियों एवं बालकों से अधिकांश कार्य लिया जा सकता था और वे पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। इंग्लैण्ड में 1609 के निर्धन कानून द्वारा यह आदेश दिया गया कि भिखमंगे बालकों को भी व्यवसाय में भिक्षुओं के रुप में लगा देना चाहिए। अतः मालिकों के लिए यह साधारण बात हो गई कि वे भवनों में जाते और भिखमंगे बालकों की टोलियां की टोलियां भिक्षुओं के रुप मे भर्ती कर लेते थें। वे इन बालकों को कारखानों से ले जाते थे और इनसे दिन भर 12 से 16 घण्टों तक काम लिया जाता था। इस दिन उन्हें साधारणतया चिमनियों को साफ करना पड़ता था।[4]

अध्ययन का उद्देश्य

मेरे इस शोध पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य समाज में चली आ रही बालश्रम जैसी बुराई व अपराध के प्रति सर्वजन को जागरूक करना है। साथ ही बाल श्रमिकों व बाल मजदूरों की दयनीय स्थिति पर सरकार व समाज के चिंतन व सुधार हेतु कार्य पर बल देना है।

बाल श्रम समस्या के प्रमुख करण

1 परिवार में गरीबी।
2 परिवार भत्ता योजना का अभाव।
3 बड़ा परिवार।
4 सस्ता श्रम।
5 अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान का अभाव।
6 अशिक्षा
7 अधिनियम में प्रावधान का कठोरता के साथ पालन नहीं।

भारत जैसे अधिकतर विकासशील देशों में निम्न सामाजिक, आर्थिक वर्ग के लोग शिक्षित होते हैं। वे केवल वर्तमान के बारे मे सोचते हैं उन्हे भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं होती और वे अपने बच्चों को श्रम करने के लिये भेजते हैं। कुछ संगठित इकाइयों के मालिक वयस्क मजदूरों को यह तर्क देकर मनाते हैं चूँकि उनके बच्चों को आगे पलकर इसी धन्धें में आना है तो क्यों न उन्हें अभी कम उम्र से ही काम मे लगाया जाये ताकि आगे चलकर वे कुशल कारीगर बन सकें। यह परिवेश बच्चों को शिक्षा के अवसर से वंचित रखता हैं। माँ–बाप के शिक्षित न होने के कारण बच्चों के भविष्य के प्रति माँ–बाप का व्यवहार बहुत ही संकुचित और लापरवाही का रहता हैं। बच्चों की शिक्षा पर यह अधिक महत्व नहीं देते। परिणामतः बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या उस स्तर को प्राप्त किये बिना बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं जिनके लिए उनका पंजीकरण हुआ था। ये माता–पिता यह सोचते है कि यदि बच्चों को काम पर लगाया जाए तो इसमे कोई गलती नहीं हैं। उन बच्चों को इस प्रकार लगाये रखना उपयोगी है जो स्कूल नहीं जाता है। अतः इस व्यवहार के कारण और कुछ परिस्थितिवश बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

सन् 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग द्वारा नैनीताल जिले के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में 2887 कृषक परिवारों के बाल श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर एक शोधपूर्ण अध्ययन कराया गया। इसके अनुसार बाल श्रमिकों की सख्ंया में वृद्धि के कारण समाज में मौजूद गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी हैं।[5]

सबसे दुःखद और लज्जाजनक तथ्य यह है कि विश्व में कुल बाल श्रमिकों का एक बड़ा भाग भारत में है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 10 करोड़ बाल श्रमिक है किन्तु अधिकृत रुप से उनकी संख्या 2 करोड़ बतायी जाती हैं। कुल बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतीहर मजदूर हैं तथा 30 से 35 प्रतिशत तक कारखानों में कार्यरत हैं। शेष भाग पत्थर खदानों, अनेक प्रकार के लघु व कुटीर उद्योगों , चाय की दुकानों और घरेलू कार्य में लगे है। जम्मू–कश्मीर में लगभग 1 लाख बाल श्रमिक

ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-10* November- 2017
Innovation The Research Concept

कालीन उद्योग में, शिवकाशी, तमिलनाडु में आतिशबाजी व माचिस उद्योग में तथा लगभग इतने ही फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश मे कांच उद्योग में, आगरा व कानपुर के चमड़ा उद्योग में लगभग 30 हजार, चिकन व एबरोयडरी के काम मे लगभग 50हजार बाल श्रमिक काम करते है।

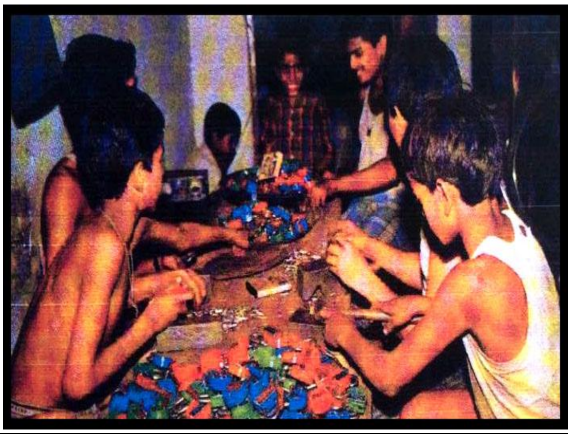

श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हर तीसरे परिवार में एक बाल श्रमिक है तथा 5 से 14 वर्ष तक की आयु का हर चौथा बच्चा श्रमिक हैं। हमारा श्रम मंत्रालय इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जब सारी दुनिया सोती है तब सुबह तीन बजे ठिठुरती ठंड मे 7 से 12 वर्ष के बच्चों को उनकी माताएं गुदड़ियों से निकल कर जलती भट्टियों या पत्थर और बालू के ढेरों में काम करने के लिए गाड़ियों मे बैठा देती है। कब सूरज निकला और कब डूब गया? इन बच्चों को पता भी नहीं लग पाता क्योंकि जब ये वापस लौटते है तो सूरज कब का अस्त हो चुका होता हैं।

बाल श्रम ग्रामीण बच्चों के लिए दरअसल अभिशाप सरीखा है बाल मजदूरी का मसला वैसे तो हर जगह के बच्चों के लिए घातक और देश के लिए शर्म का सबक है किन्तु इसका सर्वाधिक भार ग्रामीण बच्चों पर ही पड़ता है उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार वर्ष 2000 तक के कुल बाल श्रमिकों मे से 81.23 प्रतिशत बाल श्रमिक गांवों से ही संबंधित हैं जिस उम्र मे बच्चों को अपने गांवों की धूल मिट्टी में खेलकर खिलखिलाना चाहिए था, पढ़–लिखकर देश का भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए था इस उम्र में बहुत से ग्रामीण बच्चों को रोटी–रोज़ी कमाने के लिय विवश होना पड़ता है।

विश्वव्यापी समस्या

बाल मजदूरों की समस्या केवल भारत मे ही नहीं विश्वव्यापी है। अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के आकड़ो में लगभग 17 करोड़ बाल मजदूर खतरनाक कार्यों में लगे हैं और इनमें से अधिकतर विकासशील देशों के कारखनों तथा विभिन्न उद्योग धन्धों में कार्यरत् हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल अध्ययन संगठन के पूर्व महानिदेशक के अनुसार बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनमें यदि बच्चे कमाना बंद कर दे तो पूरे परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाए। माता –पिता स्वयं ही बच्चों को बंधक रख देते है या भीख मांगने जैसे कार्यों में लगा देते है। बाल मजदूरी के कलंक से विकसित देश भी अछूते नहीं। इंग्लैण्ड में 13 से 16 वर्ष की आयु के कुल किशोरों का लगभग एक चौथाई भाग अंशकालिक मजदूरी करता हैं। इटली में 10 से 15 वर्ष की आयु के बीच के लगभग 21प्रतिशत बालक अंशकालिक मजदूरी करते हैं। पश्चिम जर्मनी मे गई एक जांच मे साढ़े तीन लाख मजदूर पाए गए।

अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश मे भी कुछ ऐसे बच्वें हैं जो चार पॉच वर्ष की उम्र में ही अपना अंशकालिक काम शुरु कर देते है और फिलीपीन्स में सैकड़ों बाल वेश्याएं है जिनकी आयु 10 से 15 के बीच है ब्राजील में इस प्रकार की बाल वेश्याओं की सख्यां 15 हजार से भी अधिक है जो अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए अपने अल्पवयस्क शरीर का धन्धा करती है।

श्रम कानूनों के इतिहास का अवलोकन करें तो यह पायेंगे कि सर्वप्रथम 1881 में कारखाना अधिनियम में 7 वर्ष की आयु तक के किसी भी बाल श्रमिक के नियोजन को गैर कानून घोषित कर दिया तथा बाल श्रमिक के काम मे घंटो को 9 घंटों तक ही सीमित रखने का प्राविधान रखा गया। अंग्रेंजी शासकों द्वारा यह कानून सभंवतः मानचेस्टर में कपड़ा उद्योगपतियों से प्रतिस्पर्धा हेतु बनाया गया। इस कानून को कई बार संशोधित किया गया।

1891 के संशोधन द्वारा कारखानों में रोजगाार हेतु न्यूनतम आयु 7 वर्ष से बढ़ाकर 9 वर्ष कर दी गयी तथा काम के घंटों को भी 9 से घटाकर 7 किया गया। 1911 के संशोधन द्वारा कारखाना अधिनियम मे यह प्राविधान किया कि बाल श्रमिको को सांय सात बजे से प्रातः साढ़े पांच बजे तक कार्य पर नहीं लगाया जाएगा कुछ खतरनाक औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं उद्योगों मे बाल श्रमिकों का नियोजन भी वर्जित कर दिया गया। 1926 के संशोधन द्वारा कारखाना अधिनियम में यह प्राविधान रखा गया कि यदि नियोजन एंव बालको के माता–पिता एक ही दिन उन्हें दो कारखानों में काम करने भेजते हैं तो उन्हें दण्डित किया जाएगा।

निष्कर्ष

बाल श्रम शोषण या उपयोग को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बाल श्रम का शोषण करने वाले नियोक्ता पर ही अपने को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी डाली जाए। बाल श्रम कानूनों से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई विशेष अदालतों द्वारा की जाए एवं इस पूरी आदालती कार्यवाही को लोक अभियोजनक ही सम्पादित करें। बाल श्रम कानूनों की अदालती प्रकिया को बिना किसी विलम्ब के तय कर लिया जाना चाहिए। इन कानूनी उपायो एंव सशोधन के अलावा अन्य उपाय भी जरुरी है जिनमें 14वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को अनिवार्य शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ, यातायात आदि सुविधाओं का विस्तार करना महत्वपूर्ण है।[6]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *काम के बोझ तले दबा बचपन, प्रशान्त अग्निोहत्री।*
2. *सिविल सर्विसेज, क्रानिकल।*
3. *धर्मवीर औद्योगिक समाजशास्त्र, कमलेश महाजन।*
4. *श्रम अर्थशास्त्र पी.सी सिन्हा।*
5. *हालत की जकड़नो में बाल मजदूर, नीरज कुमार।*
6. *सिविल सर्विसेज क्रानिकल।*
7. *बाल विकास की दिशाएं, सुबुद्धि गोस्वामी।*

8. *बाल श्रम सुनील श्री वास्तव कुरुश्रेत्र।*
9. *शिक्षा से ही टूटेगी लाचारगी रणधीर तेज चौधरी कुरूश्रेत्र।*
10. *बाल मजदूर : बचपच से दूर योजना, योगेश चन्द्र शर्मा।*
11. *बाल श्रम पर प्रतिबन्ध जनसत्ता, दमन आहूजा।*
12. *सामाजिक समस्याये बाल दुर्व्यहार और बालश्रम, राम आहूजा।*

पाद टिप्पणी

1. *बाल श्रम,'एक समाजिक अभिशाप', क्रानिकल, 2002 पृ0 62।*
2. *बाल मजदूर 'एक थाकी हारी जिंदगी', प्रदीप पंत कुरूक्षेत्र, फरवरी 1997 पृ017।*
3. *बाल मजदूर 'एक थाकी हारी जिंदगी', प्रदीप पंत कुरूक्षेत्र, फरवरी 1997 पृ010ं।*
4. *प्रेमलता भगोलीवाल श्रम आर्थशास्त्र एंव औद्योगिक सम्बन्ध, टी.एन. भगोलीवाल।*
5. *सिविल सर्विसेज, क्रानिकल।*
6. *सामाजिक समस्यायें बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम राम आहूजा।*